

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत ..... मुकाम कडीसादड़ी  
राम गिरी ..... बनाम कैलाश गिरी  
 किस्म मुकहमा 53 फर्द ..... नं. 95/18 सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

8-6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट कडीसादड़ी पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मौजा कनुपरा जी विवादित  
खत नं. 175 खत नं. 239 का  
विवाद कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कनुपरा जी खत नं. 175  
खत नं. 239 का विवाद विभाजित किया जावे।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार वडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[Signature]  
 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठाधीन अधिकारी, लोक अदालत  
 रामगढ़ गाँव पत्थी एवं  
 पत्र सहायक कलेक्टर  
 वडीसादड़ी (राज.)

